

आज दिनांक 10.08.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री रामप्रकाश के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 328 / 2022 धारा 363,366,376,120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्टके मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता विरेन्द्र निषाद पुत्र राधेश्याम निषाद सा0 भिदुड़ थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार, हे0का0 भोला यादव, कां0 बबलू प्रसाद।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3314 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल 03 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3314 को थाना मेहदावल क्षेत्रान्तर्गत जमुअरिया से इवेन्ट संख्या 02412 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने से 03 लोगों के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराया गया व विवाद में घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस से प्रा0स्वा0केन्द्र मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर व विवाद में घायल लोगों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी विपुल सिंह, हो0चा0 वसीम अहमद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 31 वाहनो से 35,000 रू0 सम्मन वसूल किया गया
आज दिनांक 10.08.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 31 वाहनो से 35,000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया ।